[2021] 7 S.C.R. 1063
सुरज इंडिया ट्रस्ट

बनाम

भारतीय संघ
2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 880 में
विविध आवेदन संख्या 1630/2020
सितंबर 29, 2021
[संजय किशन कौल एवं ऐम. ऐम. सुन्दरेश जे. जे.]

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, जे. के द्वारा:

1. अवमानना क्षेत्राधिकार का कारण न्यायिक मंचों की संस्था की गरिमा को बनाए रखना है। यह कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं है और न ही अनुचित बयान किसी न्यायाधीश की गरिमा को कम करने में सक्षम हैं। इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जहां तमाम संभावनाओं के बावजूद एक बारहमासी वादी हर तरह से कीचड़ उछालकर अपने अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश करता है, वहां अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

2. वर्तमान विवाद की रूपरेखा को समझने के लिए, दिनांक 01.05.2017 को WP(C) संख्या 880/2016 में पारित इस न्यायालय के फैसले को देखने के अलावा किसी भी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है | यह निर्णय कोई उत्पत्ति नहीं बल्कि कुछ अर्थों में परिणति है। श्री राजीव दैया, सूरज इंडिया ट्रस्ट (संक्षेप में 'ट्रस्ट') के पीछे की आत्मा होने का दावा करते हैं, जो राजस्थान और दिल्ली दोनों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज कर रहा है। दिनांक 01.05.2017 के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री दैया व्यक्तिगत रूप से मामलों को प्रचारित करते रहे हैं। इन याचिकाओं को जनहित याचिकाएं बताया गया है। WP(C) No.880/2016 की कार्यवाही में उनके द्वारा दायर मामलों की एक सूची तैयार की गई थी, जिनकी संख्या अकेले इस न्यायालय के समक्ष 12 थी। इसके अलावा, रजिस्ट्री द्वारा तैयार सारांश के अनुसार, उपरोक्त निर्णय के पैरा 3 में उल्लिखित, इन 12 मामलों में 64 अलग-अलग कार्यवाही थीं। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया मुकदमा विचारहीन और तुच्छ था। श्री दैया को स्वैच्छिक बयान देने की स्वतंत्रता दी गई थी, अगर उन्हें यह उचित लगता कि सूरज इंडिया ट्रस्ट अब से सार्वजनिक हित में किसी कारण का आग्रह करते हुए कोई याचिका दायर नहीं करेगा। इस प्रकार, न्यायालय ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो मामला बंद कर दिया जाएगा और आगे कोई परिणाम भुगतना नहीं होगा। विकल्प में, उन्हें ट्रस्ट की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। श्री दैया, अवसर के बावजूद, लिखित जवाब दाखिल किए बिना मामले को आगे चलाना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि वे न्यायालय के उनके अभ्यावेदन से निपटने के तरीके से प्रशासनिक और न्यायिक, दोनों तरह से असंतुष्ट है। इसके बाद, उन्होंने माननीय न्यायाधीशों के आवासीय कार्यालयों में अपमानजनक संचार अग्रेषित किया । कहा जा सकता है कि प्रयास, उस समय रजिस्ट्री को डराने-धमकाने का था। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को भी अभ्यावेदन दिया। ट्रस्ट द्वारा की गई शिकायतों के पाठ में, न केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में,

बल्कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में भी अपमानजनक टिप्पणियाँ शामिल थीं। यह कीचड़ राजस्थान राज्य के सभी स्तरों के न्यायिक अधिकारियों के साथ–साथ उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों तक भी फैलाया गया। पीठ ने कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को दैनिक आधार पर विचार के लिए लिया जाता है और न्यायिक समय बर्बाद होता है क्योंकि न्यायालय की सहायता करने में अक्षम व्यक्ति उचित कारण के बिना लंबी सुनवाई की अनुमति देने पर जोर देते हैं। उस मामले में एक गलत याचिका को न केवल खारिज कर दिया गया था, बल्कि एक निर्देश जारी किया गया था कि ट्रस्ट अब से इस देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक हित में कोई भी मामला दायर करने से परहेज करेगा और यह श्री राजीव दैया पर भी समान रूप से लागू होगा। 25 लाख रुपये की अनुकरणीय जुर्माना श्री राजीव दैया पर उदाहरणार्थ लगाया गया, जिसे आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड वेलफेयर ट्रस्ट के पास जमा करना होगा, ऐसा न करने पर इसकी लागत श्री राजीव दैया से उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति के माध्यम से वसूल की जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया.

3. जुर्माना जमा नहीं की गई और श्री दैया ने 21.08.2017 को एक आवेदन दायर कर इस प्रार्थना के साथ बिना शर्त माफी मांगी कि उन पर लगाई गई जुर्माना रु. 25 लाख माफ किए जाएं और अवमानना के आरोपों को माफ किया जाए। 2017 के विविध आवेदन नंबर 507 में, श्री दैया ने अदालत से अनुरोध किया कि 2016 के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 880 में पारित दिनांक 01.05.2017 के फैसले को लागू न किया जाए क्योंकि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पास अभियोजन की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। न्यायालय ने 21.08.2017 को आदेश दिया कि पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों के लिए श्री दैया द्वारा भारत के राष्ट्रपति को लिखे गए अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध वाले पत्र को अभिलेख पर लाया जाए। इसके बाद 05.12.2017 को, श्री दैया के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि बेंच आदेश को संशोधित करने के लिए इच्छुक नहीं थी और रजिस्ट्री को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था।

4. 2017 का विविध आवेदन नंबर 1158 रजिस्ट्री द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था क्योंकि श्री दैया 01.05.2017 के फैसले के परिच्छेद 27 के अनुसार ट्रस्ट द्वारा दायर सभी लंबित मामलों को वापस लेने में विफल रहे थे। चूंकि जुर्माना जमा नहीं किया गया था, इसलिए ट्रस्ट और श्री दैया द्वारा दायर सभी आवेदन और रिट याचिकाओं को खारिज करने का निर्देश दिया गया और रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया गया कि ट्रस्ट या श्री दैया द्वारा दायर किसी भी आवेदन या याचिका को दिनांक 08.02.2018 के आदेश के तहत स्वीकार न किया जाए।

5. 2020 का विविध आवेदन संख्या 1630 को एक कार्यालय रिपोर्ट के माध्यम से 29.09.2020 को अदालत के समक्ष रखा गया था जिसमें बताया गया था कि ट्रस्ट द्वारा जुर्माना जमा नहीं किया गया। इस पहलू की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट एओआर वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव ने भी की थी क्योंकि जुर्माना उक्त इकाई के पास जमा की जानी थी। उक्त तिथि पर ऐसी स्थिति होने के कारण ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया। इसका जवाब देने के बजाय, श्री दैया ने रजिस्ट्री से नोटशीट मांगी जिसके आधार पर रजिस्ट्री ने दिनांक 16.10.2020 को ई–मेल के माध्यम से दिशानिर्देश मांगे थे। इसके बाद 09.02.2021 को एक ई–मेल आया। दिनांक 08.02.2018 के आदेश की अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए उक्त पत्र को फाइलिंग काउंटर पर आवेदन स्वीकार करने के निर्देश के लिए प्रसारित करने की मांग की गई थी। 12.02.2021 को कोर्ट ने कहा कि नोट शीट की मांग करने का कोई आधार नहीं है। श्री दैया के अड़ियल

रुख और दिए गए नोटिस के अनुपालन में गैर–उपस्थिति को देखते हुए, उनकी उपस्थिति के लिए 25,000/– रुपये की राशि एक प्रतिभूति के साथ का जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था।

6. यहां पर श्री दैया ने पाला बदला और 22.02.2021 को अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 36444/2021 पेश कर दिनांक 29.09.2020 के आदेश के अनुपालन में अपनी संपत्ति दिखाने वाली एक ऑडिट रिपोर्ट के साथ बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश की। इस आवेदन के तथ्य को रजिस्ट्री द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया था। न्यायालय को सूचित किया गया कि आदेश की अनिवार्य प्रकृति के कारण, 22.02.2021 को एक बार फिर इसे स्वीकार नहीं किया गया।

7. अब श्री दैया द्वारा एक और यू–टर्न लिया गया, जिन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल को दिनांक 11.03.2021 को एक पत्र लिखा। इस पत्र में श्री दैया ने मामले की गुण–दोष के आधार पर सुनवाई न होने देने से न्याय प्रशासन में बाधा डालने और हस्तक्षेप करने के लिए पीआईएल अनुभाग, अनुभाग एक्स और अनुभाग XVI–ए के सहायक रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मांगी गई। इसके साथ ही भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री जेएस खेहर (अब सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और हममें से एक (संजय किशन कौल, जे.) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही दायर करने के लिए भी सहमति मांगी गई थी क्योंकि वे 01.05.2017 को पारित निर्णय में तीन न्यायाधीशों थे और वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विभिन्न याचिकाओं के सही निर्णय लेने में बाधा डाल रहे थे। 14.03.2021 को, श्री दैया ने रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि उन्होंने 29.09.2020 के आदेश के अनुपालन में बिना शर्त माफी मांगने और संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पीठ के द्वारा विचार किया जाए। 15.03.2021 को, पीठ ने श्री दैया को अपनी आय के वर्तमान स्रोतों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वह सरकारी नौकरी में थे। उन्हें अपनी चल–अचल संपत्ति, यदि कोई हो, की पूरी सूची देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, चूंकि वह सरकारी नौकरी में होने का दावा कर रहा था, इसलिए उसे अपनी अंतिम वेतन पर्ची देनी चाहिए, जिसमें कटौतियों के साथ उसे प्राप्त होने वाली परिलब्धियां दर्शाई गई हो।

8. 23.03.2021 को अटॉर्नी जनरल ने श्री दैया को दो पत्र भेजे, जिसमें 11.03.2021 के दोनों पत्रों के संबंध में अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया गया। हालाँकि, श्री दैया ने अटॉर्नी जनरल को दिनांक 26.03.2021 और 27.03.2021 को समान तथ्य के दो पत्र संबोधित किए, जिसमें कहा गया कि उन्हें पूरा रिकॉर्ड उनके सामने रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। 26.03.2021 को, सहायक रजिस्ट्रार (पीआईएल अनुभाग) को एक ई–मेल भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि हममें से एक (संजय किशन कौल, जे.) को खुद को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अभियोजन की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। . राष्ट्रपति को संबोधित पत्र भी संलग्न था। यह उस कार्रवाई के संदर्भ में था जो वह कोरम के खिलाफ करना चाहता था जिसने 01.05.2017 को आदेश पारित किया क्योंकि उसके अनुसार यह भारतीय दंड संहिता की धारा 219 के तहत अपराध की आवश्यकताओं को पूरा करता था (न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक भ्रष्ट तरीके से काम करता है और कानून के विपरीत रिपोर्ट, आदि बनाता है)। 27.03.2021 को, अटॉर्नी जनरल को 26.03.2021 को पहले भेजे गए पत्र की याद दिलाते हुए एक ई–मेल पुनः भेजा गया।

9. 02.04.2021 को, श्री दैया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर सहायक रजिस्ट्रार और पीआईएल (रिट) अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेने के लिए जानकारी का अनुरोध किया।

10. उपरोक्त संदर्भ में जब मामला 05.04.2021 को सूचीबद्ध किया गया था, श्री दैया ने कोविशील्ड टीकाकरण के कारण अदालत के समक्ष पेश होने से खुद को माफ करने की मांग की। उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया था और सभी प्रकार की आपत्तियां उठाकर कार्यवाही से बचना चाह रहे थे , यानी कि मामले की सुनवाई इस पीठ द्वारा नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार, यह देखा गया कि यह श्री दैया का विशेषाधिकार नहीं था, और मुख्य न्यायाधीश ने उनके पत्र के बावजूद उसी पीठ को मामले से निपटने की अनुमति देना जारी रखा था। चूंकि श्री दैया को न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने पर आमादा पाया गया, इसलिए न्यायालय ने श्री दैया को 12.04.2021 के लिए अवमानना का नोटिस जारी करना उचित समझा। संयोग से, श्री दैया, उपरोक्त अनुरोध के बावजूद, अदालत में उपस्थित थे और नोटिस स्वीकार किया। सरकारी नौकरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह जिस बात का जिक्र कर रहे थे वह यह था कि वह एक कानूनी कार्यालय में स्टेनोग्राफर थे, लेकिन राजस्थान राज्य में तैनात थे। इस प्रकार श्री दैया के असहयोगात्मक रवैये के मद्देनजर तथ्य को सत्यापित करने के लिए राजस्थान राज्य को नोटिस जारी किया गया था।

11. 08.04.2021 को श्री दैया ने अपनी चल–अचल संपत्ति के विवरण के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने नियमित रूप से ऋण लिया था, जिसे उनकी परिलब्धियों से काटा जा रहा था। देनदारियों में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की देनदारी के अलावा अपनी बेटी की पढ़ाई के खर्च को भी शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके पास जुर्माना का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

12. 12.04.2021 को आयोजित अगली कार्यवाही में, राजस्थान राज्य को श्री दैया के रोजगार के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था और क्या वह जो गतिविधियाँ कर रहे थे, वे इस तरह लगे रहने और राज्य से वेतन लेने के दौरान स्वीकार्य थीं । श्री दैया के लिए एमिकस की नियुक्ति के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे थे।

13. 03.05.2021 को, राजस्थान राज्य द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें बताया गया था कि श्री दैया जोधपुर में सरकारी अधिवक्ता–सह–अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय में कार्यरत थे, जो राज्य के 0 महाधिवक्ता के कार्यालय से अलग कार्यालय था। उन्हें लागू प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न अदालतों के समक्ष उनके आचरण के कारण संबंधित सेवा नियमों का उल्लंघन होने के कारण उन्हें निलंबित और स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके खिलाफ श्री दैया ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट संख्या 6864/2021 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी। इस प्रकार, 06.05.2021 को कार्यवाही में यह नोट किया गया कि राज्य अंतरिम आदेश को हटाने के लिए आगे बढ़ गया है और राज्य 'भूमि राजस्व के बकाया' के रूप में लागत की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाएगा।

14. 10.05.2021 को श्री दैया ने आदेश दिनांक 06.05.2021 को वापस लेने/समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया। यह दावा किया गया कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और वसूली की

कार्यवाही निरर्थक थी। उनका मामला था कि 21.08.2017 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विविध आवेदन संख्या 507/2017 में वसूली कार्यवाही को खारिज करना वर्तमान पीठ पर बाध्यकारी था। उन्होंने आसानी से इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि उक्त कार्यवाही में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अभियोजन की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को पेश करने के निर्देश के साथ केवल उनकी प्रस्तुति दर्ज की गई थी। 05.12.2017 को विविध आवेदन संख्या 507/2017 में पारित आदेश का प्रभाव यह था कि श्री दैया की आदेश को संशोधित करने की प्रार्थना वास्तव में अस्वीकार कर दी गई थी और रजिस्ट्री को कानून के अनुसार (जुर्माना की वसूली के लिए) आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था।

15. 08.07.2017 को एक बार फिर, श्री दैया ने रजिस्ट्रार को एक पत्र संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने दिनांक 07.06.2021 को हममें से एक (संजय किशन कौल, जे.) के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के पास एक शिकायत दर्ज की थी, ताकि गृह प्रक्रिया के तहत जांच की जा सके। 08.07.2021 को एक स्मार भेजा गया और एक बार फिर अनुरोध किया गया कि मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें हम में से एक (संजय किशन कौल, जे.) सदस्य नहीं थे। उन्होंने कुछ आरटीआई प्रश्न का जवाब भी माँगा था।

16. 09.07.2021 को न्यायालय का ध्यान श्री दैया के पत्र की ओर आकर्षित किया गया। यह पाया गया कि ट्रस्ट स ेजुर्माना की वसूली के मुद्दे पर सभी प्रकार की दलीलें दी जा रही थीं। अदालत को बदनाम करने और अदालत को जुर्माना की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने से रोकने के लिए दैया पत्र भी लिखे थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से न्यायालय को डराने का एक प्रयास था जिसे न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। श्री दैया को अवमानना नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और अदालत को बदनाम करने के उनके प्रयास के लिए सजा सुनाई जाए, जिसे अगली तारीख, यानी 04.08.2021 को सुनवाई के लिए रखा गया। इसके बाद, श्री दैया ने स्थगन की मांग की क्योंकि उनकी कुछ शल्य चिकित्सा हुई थी और राज्य के वकील को यह सत्यापित करने के लिए कहा गया था कि श्री दैया चिकित्सा सलाह के अनुसार अदालत की कार्यवाही में कब शामिल हो पाएंगे। 18.08.2021 को यह देखा गया कि राजस्थान राज्य की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, 16.08.2021 को पुष्टि की गई, चिकित्सा सलाह के अनुसरण में, अवमाननाकर्ता ने 11.08.2021 को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया था। चार महीने के लिए स्थगन मांगने का उनका प्रयास स्वीकार्य नहीं पाया गया। आगे यह नोट किया गया कि अपमानजनक आचरण जारी रहा और श्री दैया इस गलत धारणा में थे कि न्यायालय को बदनाम करने का प्रयास करके वह बच सकते हैं। उनकी उपस्थिति का निर्देश देते हुए 10,000/– रुपये की राशि और इतनी ही राशि की जमानत के साथ जमानती वारंट जारी किए गए थे।

17. याचिकाकर्ता ने अवमानना कार्यवाही का जवाब दायर किया और 06.09.2021 को सचिव, कानून और कानूनी मामलों के विभाग, राजस्थान सरकार, रजिस्ट्रार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, हम में से एक (संजय किशन कौल, जे) और सुप्रीम कोर्ट एओआर वेलफेयर ट्रस्ट की सचिव बी.सुनीता राव को पक्षकार बनाने केलिए आवेदन दिया। उन्होंने शिकायत को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने की भी मांग की और 07.09.2021 को, उन्होंने 4–5 महीने के लिए स्थगन की मांग की ताकि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके पहले पत्र पर प्रतिक्रिया दी जा सके क्योंकि तर्कसंगत आदेश खंडपीठ द्वारा पारित नहीं किया जा रहा है। 08.09.2021 को, जमानती वारंट के अनुसरण में श्री दैया उपस्थित हुए और हमने उन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और राज्य के विद्वान वकील के साथ कुछ विस्तार से सुना। जैसा कि पहले हुआ था, अंत में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह बिना शर्त माफी मांगना चाहता है और उसने जो कुछ भी कहा है उसे

वापस लेने की मांग की। हमने उनसे कहा कि वह तीन दिनों के भीतर जो चाहें दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम अपना आदेश पारित करते समय इसे ध्यान में रखेंगे और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 114626/2021 दायर किया गया, जिसमें उन्होंने "बिना शर्त माफी" मांगी और अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 114629/2021 द्वारा समीक्षा की मांग की। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि क्या समीक्षा की मांग की जा रही थी।

18. तथाकथित बिना शर्त माफ़ी फिर से पिछली कार्यवाही में उनकी कथित शिकायतों का पुनरावृत्ति है। इसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जुर्माना की वसूली के लिए कार्यवाही वास्तव में समाप्त हो गई थी, जो वास्तव में ऐसा नहीं था क्योंकि जुर्माने के क्रम में संशोधन की मांग करना उनका प्रयास था। रजिस्ट्री को वसूली के लिए कार्रवाई करने की अनुमति देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया था। रिकवरी नहीं होने पर रजिस्ट्री ने मामले को कोर्ट के समक्ष रखा था। इसके बाद, उन्होंने अपने रोजगार के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई चार्जशीट के बारे में शिकायत की थी, एक ऐसा पहलू जिससे हमारा सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया है कि वह जुर्माना के भुगतान के संबंध में असंभवता के सिद्धांत की प्रयोज्यता का दावा करते हुए, उनके द्वारा दायर की गई विभिन्न कार्यवाहियों में विभिन्न शिकायतों का निवारण चाहते हैं। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर विभिन्न याचिकाओं का उल्लेख किया है।

19. उपरोक्त बातों को ध्यान से पढ़ने पर हम इसे बिना शर्त माफी के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते।

20. हमने न केवल WP(C) No.880/2016 में आदेश पारित होने से पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री दैया के आचरण को रिकॉर्ड करने के लिए, बल्कि उसके बाद भी लगातार इन सभी विवरणों को दर्ज किया है। दलीलों में उन्होंने यह सुझाव देने की मांग की कि उन्हें यह कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न अदालतों में उनके द्वारा दायर की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप न किया जाए या लागत का भुगतान करने में असमर्थता के कारण उन्हें समाप्त न किया जाए। यह शायद ही कोई ऐसी कार्यवाही हो सकती है जो अनुमेय हो। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि श्री दैया ने लागत वसूली के एक साधारण मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाइयां शुरू की हैं। वास्तव में, राज्य के वकील ने उनके द्वारा राज्य सरकार को संबोधित संचार का हवाला दिया, जिसमें एक बार फिर उन अधिकारियों को धमकी देने की मांग की गई थी जिन्होंने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी। लेकिन इस तथ्य के लिए कि श्री दैया व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते हैं और अपने मामले को इतनी स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं, इससे संभवतः यह आशंका पैदा हो सकती है कि वह वहां मौजूद नहीं थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वह अपनी दलीलों की प्रकृति से अदालत को संबोधित करने की अपनी क्षमताओं से परे लगातार कानूनी सलाह के अधीन है।

21. जहां तक विविध आवेदन संख्या 1630/2020 का संबंध है, हमारे विचार में, 06.05.2021 को जो पहले ही कहा गया था, उससे अधिक कुछ भी निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात, राज्य सरकार को जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाना चाहिए 'भू-राजस्व के बकाया' के रूप में और वसूली राशि 01.05.2017 को WP(C) No.880/2016 में पहले ही पारित आदेश के अनुसार लाभार्थी को भेज दी जाए। इसके अलावा, किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वसूली स्वाभाविक रूप से ट्रस्ट और श्री दैया दोनों के उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगी। इस न्यायालय द्वारा 01.05.2017 को

पारित निर्देश में यह कहा गया था कि "जमा विफल होने पर, यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त जुर्माना इसके अध्यक्ष श्री राजीव दैया से उनकी व्यक्तिगत आय के माध्यम से वसूली योग्य होगी।"

22. वास्तव में, यदि श्री दैया ने अपने हलफनामे के अनुसार राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की होती, तो मामले को 01.05.2017 के आदेश में निहित स्वाभाविक परिणामों के साथ छोड़ दिया जा सकता था। जिसने उन्हें जनहित याचिका दायर करने से वंचित कर दिया। आख़िरकार, जनहित याचिकाएँ दायर करना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता है और सहायता के स्तर और कारणों की प्रकृति पर दिनांक 01.05.2017 के आदेश में पहले ही प्रतिकूल टिप्पणी की जा चुकी है।

23. विविध आवेदन संख्या 1630/2020 को उपरोक्त आदेश के साथ बंद किया जाता है।

24. हालाँकि, दुर्भाग्य से यह मामले का अंत नहीं हो सकता।

25. आइए हम शुरुआत में ही कहें कि इतनी अधिक परेशानी को आमंत्रित करने के बजाय मामले से हट जाना या छोड़ देना ही आसान रास्ता है। लेकिन फिर यह वह रास्ता नहीं है जिसके लिए न्यायाधीशों ने शपथ ली है। कभी-कभी कार्य अप्राप्य और कठिन होता है लेकिन इसे संस्थान की व्यापक भलाई के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसे वादियों को केवल इसलिए अपने तरीके से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे जो चाहें पैरवी कर सकते हैं और लिख सकते हैं और कभी-कभी माफी मांगकर और फिर उन आरोपों को सामने लाकर अनुमोदन करते रहते हैं। इस प्रकार हमने अधिक कठिन रास्ता चुना है।

26. अब श्री दैया के आचरण की ओर मुड़ते हैं, जो उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है।

27. हम न्यायिक उदाहरणों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई के संबंध में प्रबुद्ध हैं। हम सबसे पहले रोशन लाल आहूजा मामले में फैसले की ओर रुख करना चाहेंगे। रिट याचिका के ज्ञापन में और भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रैंक में कटौती और बाद में अवमाननाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन में सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ जानबूझकर और बार-बार की गई अपमानजनक टिप्पणियाँ और आक्षेपों को नीचे लाने के लिए आयोजित किया गया था और जनता की नज़र में न्यायपालिका की छवि और न्याय प्रशासन को बदनाम करना था। अवमाननाकर्ता को चार महीने की साधारण कारावास भुगतने और 1,000/- रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया।

28. ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त कार्यवाही में भी, माफी मांगने के बाद, जाहिरा तौर पर इस आधार पर कि यह न्यायाधीशों द्वारा वांछित था, एक बार फिर, अवमाननाकर्ता ने अपने व्यवहार के लिए कोई माफी नहीं दिखाई। पैरा 11, 12 और 13 में न्यायमूर्ति एएस आनंद (जैसा कि वह तब थे)

निम्नानुसार:

> "11. असंतुष्ट तत्वों, जो मनचाहा आदेश पाने में नाकाम होते हैं, के द्वारा न्यायिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और अब समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। किसी वादी को अदालत को धमकाने की कोई छूट नहीं दी जा सकती। केवल इसलिए कि कोई पक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का विकल्प चुनता है, उसे न्यायिक मामलों के संबंध में अदालत को बदनाम करने की प्रवृत्ति वाले ऐसे आक्षेप लगाने की अनुज्ञप्ति नहीं मिल जाती है।

12. आमतौर पर, कानून की अदालतें किसी व्यक्ति को अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराने की कार्यवाही शुरू नहीं करती हैं, जहां केवल तकनीकी अवमानना होती है या जहां अवमाननाकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसे अपने कृत्य के लिए वास्तव में पश्चाताप है। अदालत के फैसले आलोचना के लिए खुले हैं। न्यायाधीश और अदालतें अपने निर्णयों की निष्पक्षता और उचित आलोचना के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील नहीं हैं। निष्पक्ष टिप्पणियाँ, भले ही मौखिक रूप से की गई हों, लेकिन बिना किसी दुर्भावना के या न्याय प्रशासन को ख़राब करने का प्रयास किए बिना और उचित भाषा में सद्भावना में की गई हों, अदालत की अवमानना के लिए किसी भी सजा को आकर्षित नहीं करती हैं। रेग बनाम मेट्रोपोलिस के पुलिस आयुक्त, एकपक्षीय ब्लैकबर्न, 1968 (2) डब्लूएलआर 1204 में लॉर्ड डेनिंग ने इस संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ कीं। मास्टर ऑफ रोल्स के शब्दों में:

जो लोग टिप्पणी करते हैं वे न्याय की अदालत में किए जाने वाले सभी कार्यों को ईमानदारी से निपटा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि हम ग़लत हैं और हमारे निर्णय ग़लत हैं, चाहे वे अपील के अधीन हों या नहीं। हम बस इतना ही पूछेंगे कि जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, उन्हें याद होगा कि हमारे कार्यालय की प्रकृति के कारण हम उनकी आलोचना का जवाब नहीं दे सकते। हम सार्वजनिक विवाद में नहीं पड़ सकते. राजनीतिक विवादों में बिलकुल कम हैं.

हालाँकि, जब आलोचना से जनता की नज़र में न्यायपालिका की छवि को ख़राब करने या न्याय प्रशासन को ख़राब करने या न्याय प्रशासन को बदनाम करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो अदालतों को खुद को बेहतर बनाना चाहिए उनकी गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए। किसी भी वादी को किसी फैसले की निष्पक्ष, प्रामाणिक और उचित आलोचना की सीमा लांघने और आम तौर पर अदालतों को बदनाम करने या फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों पर उद्देश्य बताने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायिक प्रणाली और न्यायालय की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए की गई विकृति की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अन्यथा न्यायिक प्रणाली की नींव ही कमजोर हो जायेगी और यह न केवल कानून के शासन के संरक्षण के लिए, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी बुरा होगा. स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायिक मामलों के संबंध में न्यायाधीशों या अदालतों के खिलाफ निराधार, अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने के लाइसेंस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। न्याय की कोई भी व्यवस्था ऐसे बेलगाम लाइसेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती. निःसंदेह, "न्याय एक बंधा हुआ गुण नहीं है; उसे जांच का सामना करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आम लोगों की टिप्पणियों का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही वह मुखर हो", लेकिन जनता को इसमें भाग लेने वाले लोगों पर अनुचित इरादे थोपने से बचना होगा। न्याय प्रशासन और बिना किसी दुर्भावना के या किसी भी तरह से न्याय प्रशासन को ख़राब करने का प्रयास किए बिना स्वतंत्र आलोचना के अपने अधिकार का प्रयोग करें और ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचें जो न्यायिक मामलों के संबंध में अदालत को बदनाम करती हो।

13. वर्तमान मामले में अवमाननाकर्ता ने कोई पछतावा या पछतावा दिखाना तो दूर, अहंकारी और अवमाननापूर्ण रवैया अपनाया है। 'निर्देशों के लिए नोट' प्रसारित करने में उनका आचरण दुख पर नमक छिड़कता है। निःसंदेह, न्यायालय की गरिमा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी पागल व्यक्ति द्वारा फेंके गए पत्थर से खंडित हो जाए, लेकिन, जब न्यायालय को पता चलता है कि अवमाननाकर्ता लापरवाह, निरंतर और न्यायालय और उसकी गरिमा को कमजोर करने का दोषी है कार्रवाई प्रेरित, जानबूझकर और डिज़ाइन की गई है, अदालत की अवमानना के कानून को सक्रिय किया जाना चाहिए।"

29. उपरोक्त से पता चलता है कि न्यायिक मामलों के संबंध में न्यायालय को बदनाम करने की प्रवृत्ति के रूप में आक्षेप लगाने में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर कोई पूर्ण अनुज्ञप्ति नहीं है। जनता की नज़र में न्यायपालिका की छवि को ख़राब करने और न्याय प्रशासन को ख़राब करने के लिए प्रेरित और सोच–समझकर किए गए प्रयासों को अपनी गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ करना होगा। वर्तमान सन्दर्भ में यदि देखा जाए तो शिकायत, जुर्माना लगाए जाने के कारण जनहित याचिका दायर करने में अवमाननाकर्ता की असमर्थता के कारण उत्पन्न होती है, जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ होने का दावा करता है और उसकी याचिकाओं पर मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं होने के परिणाम सामने आते हैं , जो संख्या में बहुत ज्यादा हैं। अवमाननाकर्ता ने स्पष्ट रूप से उन विषयों की जनहित याचिकाएं दायर करने का पेशा बना लिया है जिनके बारे में वह ज्यादा नहीं जानता है और फिर उसे राहत देने के लिए न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश करता है और ऐसा न करने पर वह न्यायालय को बदनाम करना जारी रखेगा।

30. पुन: विजय कुर्ले और अन्य.2 में, जो एक वकील श्री मैथ्यूज नेदुम्पारा की सजा के बाद स्वत: संज्ञान अवमानना याचिका में उठी थी। उन कार्यवाहियों में, न्यायालय ने अंततः उसे कारावास की सजा नहीं दी, बल्कि उसे निलंबित सजा दी और उसे इस न्यायालय के समक्ष एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपस्थित होने से रोक दिया। इसके परिणामस्वरूप इंडियन बार एसोसिएशन के खिलाफ शिकायतों का एक और दौर शुरू हुआ और मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय सचिव होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अवमाननापूर्ण शिकायतें भेजने की मांग की थी (वर्तमान मामले में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है)। श्री नेदुम्पारा ने इस आधार पर रिहाई की मांग की कि वह वास्तव में उन लोगों को नहीं जानते थे। इस न्यायालय की एक पीठ ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम , 1971 के साथ पढ़े गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के आलोक में अवमानना से निपटने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर बहस की। प्रावधान इस प्रकार हैं :

"9. भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 इस प्रकार है:

> "129. उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसी अदालत की सभी शक्तियाँ होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी।" अनुच्छेद 129 को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय होने के नाते ऐसे अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। यह एक संवैधानिक शक्ति है जिसे क़ानून द्वारा छीना या किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।

10. भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 इस प्रकार है:

> "142. सर्वोच्च न्यायालय के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। (1) सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो पहले से लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। यह, और इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में इस तरह से लागू किया जाएगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए

गए किसी भी कानून के तहत या इसके तहत निर्धारित किया जा सकता है, और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह से लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं.

(2) संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के पास, भारत के संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में, किसी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। व्यक्ति, किसी दस्तावेज़ की खोज या उत्पादन, या स्वयं की किसी अवमानना की जाँच या सज़ा।"

31. उपरोक्त के संदर्भ में यह राय दी गई कि दोनों प्रावधानों की तुलना से पता चलता है कि जबकि संस्थापकों को लगा कि अनुच्छेद 142 के खंड (2) के तहत शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हो सकती हैं, परंतु जहां तक अनुच्छेद 129 का संबंध है, ऐसे प्रतिबंध नहीं है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित एक संवैधानिक शक्ति है जिसे विधायी अधिनियमन द्वारा भी कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवमाननाकर्ता जो प्रयास कर रहा है वह अपना रास्ता अपनाना है या वैकल्पिक रूप से, मैं हर तरह से कीचड़ उछालूंगा, चाहे वह अदालत हो, उसका प्रशासनिक स्टाफ हो या राज्य सरकार हो ताकि लोग इस कीचड़ से आशंकित हो और पीछे हट जाएं। हम पीछे हटने से इनकार करते हैं और हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हमें इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए।

32. हम ध्यान दें कि 09.07.2021 को जारी किया गया नोटिस उनके खिलाफ आगे बढ़ने के साथ-साथ अदालत को बदनाम करने के उनके प्रयास के लिए सजा देने के लिए जारी किया गया एक समग्र नोटिस था।

33. हमारा विचार है कि अवमाननाकर्ता स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की अवमानना का दोषी है। न्यायालय को बदनाम करने की उनकी हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह अपना अभद्र व्यवहार जारी रखा है। उनके द्वारा प्रस्तुत माफ़ी केवल परिणामों से बाहर निकलने का प्रयास है, जिसके बाद फिर से आरोपों की एक और झड़ी, इस प्रकार, एक दिखावा है। विषय-वस्तु को देखकर अंतिम माफ़ी को शायद ही माफ़ी कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने माना है कि माफी बचाव नहीं हो सकती है, एक औचित्य को स्वीकार किया जा सकता है यदि इसे न्यायालय की गरिमा से समझौता किए बिना नजरअंदाज किया जा सकता है (विश्राम सिंह रघुबंशी बनाम यूपी राज्य)। जैसा कि पहले ही कहा गया है, अवमाननाकर्ता की ओर से कोई पछतावा नहीं है, जैसा कि हम वर्तमान मामले में पाते हैं।

34. एकमात्र अगला सवाल यह है कि क्या उसे इस तथ्य की पृष्ठभूमि में सजा पर सुनवाई का अधिकार है या हमारे आदेश द्वारा उसे भेजा गया नोटिस गुण-दोष के आधार पर और बदनाम करने के उसके प्रयास के लिए सजा दोनों के आधार पर उसके खिलाफ आगे बढ़ाया जाएगा। उनके द्वारा दायर की गई दलीलों से यह स्पष्ट रुप से न्यायालय की अवमानना है। उपरोक्त के मद्देनजर न्यायालय के लिए उन्हें सजा के बिन्दु पर सुनना अनिवार्य नहीं हैं , लेकिन फिर भी उसे एक और मौका दिया जाता है एवं अंतिम सजा के सवाल पर अवमाननाकर्ता को सुनने के लिए याचिका को सूचीबद्ध करना उचित है।

आनंद प्रकाश